Seventeenth Loksabha

an>

Title: Regarding Need to Implement old GST rates on Bricks.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ) : आदरणीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद। देश भर में लगभग डेढ़ लाख ईंट भट्ठे संचालित किए जाते हैं, जिनमें करोड़ों कुशल एवं अकुशल श्रमिक कार्य करते हैं। ग्रामीण और सीजनल कुटीर उद्योग के तौर पर स्थापित यह उद्योग कोरोना काल तथा कोयले की लगातार बढ़ती कीमतों के कारण पहले से ही संकट से गुजर रहा है और बंदी के कगार पर है। जीएसटी की दरें बढ़ा दिए जाने से इस उद्योग पर संकट और भी अधिक गहरा गया है। जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक में भट्ठों में निर्मित लाल ईंटों पर कर की दर 1 अप्रैल, 2022 से बिना आईटीसी क्लेम के 1 परसेंट से बढ़ाकर 6 परसेंट तथा आईटीसी क्लेम करने पर 5 परसेंट से बढ़ाकर 12 परसेंट कर दी गई है। इतना ही नहीं, निर्माण क्षेत्र में 40 लाख रुपये तक वार्षिक टर्न ओवर का व्यवसाय जीएसटी में करमुक्त है, परंतु ईंट निर्माताओं के लिए कुछ राज्यों में 20 लाख रुपये तथा कुछ राज्यों में 10 लाख रुपये के वार्षिक टर्नओवर को करमुक्त किया गया है।

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि करोड़ों व्यक्तियों को आजीविका प्रदान करने वाले तथा निर्माण के क्षेत्र में अनिवार्य रूप से प्रयोग की जाने वाली ईंटों को बनाने वाले भट्ठों को बचाने के लिए जीएसटी की पुरानी दरों को लागू करने तथा ईंट निर्माताओं के लिए भी निर्माण क्षेत्र की भांति 40 लाख रुपये वार्षिक टर्नओवर को करमुक्त करने का कष्ट करें।